संख्याः 1946/एक–10–2021–33(11)/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बदायूं, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, गाजीपुर, गोण्डा, जालौन, कन्नौज, कानपुर देहात, खीरी, ललितपुर, महराजगंज, महोबा, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, उन्नाव एवं वाराणसी।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनांकः 11 दिसम्बर, 2021

विषयः–वित्तीय वर्ष 2021–22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों से प्राप्त सूचना/विवरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के हेतु **राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 06.12.2021 तक फीड किये गये 15,26,351 प्रभावित कृषकों के सापेक्ष जनपदों द्वारा कुल रू0 5,34,94,38,981 (रू0 पांच अरब चौतीस करोड़ चौरनबे लाख अड़तीस हजार नौ सौ इक्यासी मात्र) की मांग की गयी है, जिसके सापेक्ष डाटा सत्यापित कर फ्रीज किये गये 57 जनपदों के कुल 13,43,620 कृषकों को निम्न आठ शासनादेशों संख्या–1724/एक–10–2021–33(11)/2021, दिनांक 21.10.2021, शासनादेश संख्या–1754/एक–10–2021–33(11)/2021, दिनांक 23.10.2021, शासनादेश संख्या–1766/एक–10–2021–33(11)/ 2021, दिनांक 26.10.2021, शासनादेश संख्या–1779/एक–10–2021–33(11)/2021, दिनांक 29.10.2021, शासनादेश संख्या–1790/एक–10–2021–33(11)/2021, दिनांक 03.11.2021 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 08.11.2021, शासनादेश संख्या–1798/एक–10–2021–33 (11)/2021, दिनांक 11.11.2021 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 12.11.2021, शासनादेश संख्या–1818/एक–10–2021– 33 (11)/2021, दिनांक 17.11.2021 तथा शासनादेश संख्या–1891/एक–10–2021– 33 (11)/2021, दिनांक 25.11.2021 द्वारा कुल रू0 4,71,77,56,210 (रू0 चार अरब इकहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख छप्पन हजार दो सौ दस मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।**

2– अतः उक्त वर्णित स्थिति में **अवशेष 1,82,731 कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु बाढ़ मद में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 63,16,82,771/– (रू0 तिरसठ करोड़ सोलह लाख बयासी हजार सात सौ इकहत्तर मात्र) की धनराशि कालम–2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम–4 में अंकित धनराशि के अनुसार अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–**

क्र0	जनपद का नाम	कृषकों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4
1	बहराइच	668	2425222
2	बलिया	278	880007
3	बलरामपुर	207	815884
4	बाराबंकी	2582	8330414
5	बरेली	23429	64179918
6	बस्ती	519	1747998
7	बदायूं	8755	18462264
8	बुलन्दशहर	190	477579

9	चन्दौली	45	175099
10	चित्रकूट	97	175833
11	फतेहपुर	1005	4823487
12	गाजीपुर	298	1179746
13	गोण्डा	368	1750795
14	जालौन	402	5756690
15	कन्नौज	335	978964
16	कानपुर देहात	1777	3662345
17	खीरी	46825	154600121
18	ललितपुर	21368	108819566
19	महराजगंज	43	189210
20	महोबा	7909	15404696
21	मथुरा	90	506304
22	मुरादाबाद	1659	4471607
23	मुजफ्फरनगर	128	291725
24	रामपुर	11276	45239726
25	शाहजहांपुर	1542	4800013
26	श्रावस्ती	3377	14257497
27	सिद्धार्थनगर	218	1359761
28	सीतापुर	46781	162566161
29	उन्नाव	317	2050384
30	वाराणसी	243	1303755
कुल योग		**1,82,731**	**63,16,82,771**
(रू0 तिरसठ करोड़ सोलह लाख बयासी हजार सात सौ इकहत्तर मात्र)			

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0–ए–1–803/दस–2013–10(28)/2011, दिंनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रकिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई–पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014–एनडीएम–1, दिनांकः 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांकः 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः

आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.पद पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3 – उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि **रू0 63,16,82,771/– (रू0 तिरसठ करोड़ सोलह लाख बयासी हजार सात सौ इकहत्तर मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–02–बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।**

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 1946(1)/एक–10–2021–33(11)/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई–बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Ram 11.12.21
(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-14/12/2021

प्रेषण संख्या:- 1946
आवंटन आदेश संख्या:- 153-2021-2022
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मुज़फ्फर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	291725 1358552	291725 1358552
2	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	477579 7370762	477579 7370762
3	मथुरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	506304 2973338	506304 2973338
4	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	64179918 234284525	64179918 234284525
5	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	18462264 61605122	18462264 61605122
6	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4471607 106658477	4471607 106658477
7	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4800013 16399292	4800013 16399292
8	रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	45239726 182256819	45239726 182256819
9	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4823487 9771967	4823487 9771967
10	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5756690 63742882	5756690 63742882
11	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1303755 87838127	1303755 87838127
12	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1179746 139974900	1179746 139974900
13	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	880007 109703080	880007 109703080
14	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1747998 98287145	1747998 98287145
15	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2050384 23354235	2050384 23354235
16	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	162566161 397084702	162566161 397084702

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
17	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	154600121 581485019	154600121 581485019
18	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1750795 82065590	1750795 82065590
19	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2425222 303933025	2425222 303933025
20	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	8330414 143321763	8330414 143321763
21	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	108819566 1147473297	108819566 1147473297
22	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3662345 47969860	3662345 47969860
23	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1359761 384066306	1359761 384066306
24	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	189210 172545621	189210 172545621
25	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	15404696 117315328	15404696 117315328
26	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	175099 37842335	175099 37842335
27	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	815884 112864794	815884 112864794
28	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	978964 39386435	978964 39386435
29	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14257497 83696984	14257497 83696984
30	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	175833 15537017	175833 15537017
	योग	वर्तमान प्रगामी	631682771 4812167299	631682771 4812167299

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तिरेसठ करोड़ सोलह लाख बयासी हजार सात सौ इकत्तर

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार अरब इक्यासी करोड़ इक्कीस लाख सरसठ हजार दो सौ निन्यानवे

14/12/2021

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।